संख्या-

प्रेषक,
दुर्गेश जोशी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,
निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ ।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 25 मार्च, 1992

विषय:- 35 वर्ष से कम आयु की विधवा से विवाह करने पर दम्पत्ति को रु0 11,000/- (रु0 ग्यारह हजार मात्र) की सहायता विषयक नियमावली- विधवा महिला से विवाह करने पर पति को अनुदान नियमावली 1992 के अनुसार कार्यवाही करने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके अ0शा0पत्र सं0-172/अनु0/विधवा विवाह/91-92, दिनांक 13 जून, 1991 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 35 वर्ष से कम आयु की विधवा से विवाह करने पर दम्पत्ति को रु0 11,000/- (ग्यारह हजार मात्र) की सहायता दिये जाने हेतु संलग्न नियमावली- "विधवा महिला से विवाह करने पर पति को अनुदान नियमावली 1992" के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

अतः अनुरोध है कि उक्त नियमावली के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही के संबंध में शासन को अविलम्ब अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि ।

भवदीय,
(दुर्गेश जोशी)
विशेष सचिव।

सं0-2361(1)/26-2-91-200(1)/91-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को नियमावली की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
(2) समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
(3) समस्त मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश ।
(4) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
(5) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
(6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
(8) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1
(9) नियोजन अनुभाग-3

आज्ञा से,
(मंगल दत्त आदित्य)
अनु सचिव

-2-

Scanned with CamScanner

विधवा महिला से विवाह सम्पन्न करने पर पति को
अनुदान नियमावली-1992

1- यह नियमावली विधवा से विवाह करने पर पति को अनुदान नियमावली 1992 कहलायेगी ।

2- यह नियमावली अल्प आयु की विधवाओं, जिनके जीवन में सामाजिक व आर्थिक कठिनाइयों और समस्याओं का बाहुल्य हो, को सहायता प्रदान करने की योजना के कार्यान्वयन के उद्देश्य से बनाई गई है ।

3- परिभाषा:-

(क) विधवा:- विधवा से तात्पर्य ऐसी महिला से है जिसके पूर्व पति का देहान्त हो गया हो ।

(ख) पति का तात्पर्य ऐसे पुरुष से है जो विधवा से विवाह के समय या अविवाहित हो, परित्यक्त हो या विधुर हो ।

4- अनुदान की धनराशि:- योजना के अन्तर्गत एक पति को रु० 11,000/- (ग्यारह हजार मात्र) की धनराशि अनुदान के रूप में केवल एक बार स्वीकृत की जायेगी ।

5- पात्रता:- इस योजना के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करने हेतु के लिए वह पति पात्र होगा:-

(क) जिसने 35 वर्ष से कम आयु वाली विधवा से विवाह किया हो ।

(ख) जिसने विवाह के एक वर्ष के अन्दर अनुदान के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया हो ।

(ग) जिसका विवाह विधवा अथवा पुरुष के समाज की रीतियों के अनुसार हुआ हो ।

(घ) जो स्वयं या उसकी पत्नी आयकर दाता न हो ।

6- प्रक्रिया:-

योजना के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए पति निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन-पत्र संबंधित जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा और उस आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न करेगा :-

(क) विधवा के पूर्व पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र जो संबंधित तहसीलदार द्वारा प्रदान किया गया हो ।

---3---

24

संबंधित तहसीलदार द्वारा प्रदत्त यह प्रमाण-पत्र कि आवेदक की
विधवा से विवाह के समय कोई पत्नी जीवित नहीं थी।
[illegible] पति और विधवा की आयु का प्रमाण
जिला [illegible] कल्याण अधिकारी [illegible] आवेदन-पत्र का भली-भाँति परीक्षण/
[illegible] उस पर अपनी आख्या/संस्तुति निदेशालय, [illegible] कल्याण को।
[illegible] [illegible] कल्याण, उत्तर प्रदेश को अनुदान स्वीकृत करने का
[illegible] होगा।

x

संख्या-4321/26-3-97-4(188)/97

प्रेषक,

शारदा प्रसाद,
सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ ।

अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 9 सितम्बर, 1997

विषय: प्रदेश के अनुसूचित जाति के निर्धन एवं असहाय व्यक्तियों के इलाज एवं उनकी पुत्रियों की शादी हेतु दी जाने वाली आर्थिक सहायता की नियमावली में संशोधन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजाज्ञा संख्या-2410/26-1-80/11-198, दिनांक 27 जुलाई, 1982 तथा राजाज्ञा संख्या-4444/26-1-84, दिनांक 29 अगस्त, 1984 द्वारा निर्गत नियमावली की व्यवस्थाओं पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल उक्त नियमावली के अनुच्छेद-1(1), 3 व 4 में वर्णित नियमों के स्थान पर उनके सम्मुख कालम-2 में वर्णित नियमों को प्रतिस्थापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

	वर्तमान नियम	एतद्द्वारा संशोधित नियम
	नियमावली उत्तर प्रदेश अनुसूचित ... के निर्धन एवं असहाय व्यक्तियों ... बीमारी के इलाज तथा पुत्रियों की शादी (वित्तीय सहायता) नियमावली कही जायेगी ।	यह नियमावली "अनुसूचित जातियों/जनजातियों के निर्धन एवं असहाय व्यक्तियों और विधवा पेन्शन पर रही सभी वर्गों की निराश्रित विधवाओं के इलाज तथा पुत्रियों की शादी (वित्तीय सहायता) नियमावली, 1982 कही जायेगी ।
3-	इस नियमावली के अधीन स्वीकृत की जाने वाली धनराशि न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा 1,000/-(एक हजार होगी)। इस धनराशि को शासनादेश सं0-4587/26-3-93-4-(188)/93, दिनांक 17-12-93 द्वारा एक हजार से बढ़ाकर रूपया 5 हजार किया गया है ।	3(1)-इस नियमावली के अधीन अनुसूचित जाति/जनजाति के निर्धन एवं असहाय व्यक्तियों तथा विधवा पेन्शन पा रही सभी वर्गों की निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों की शादी हेतु वित्तीय सहायता की दर रूपया 10 हजार होगी । 3(2)-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निर्धन एवं असहाय व्यक्तियों तथा विधवा पेन्शन पर रही

....2 पर

Scanned with CamScanner

	...आप द्वारा ...	सभी वर्गों की निराश्रित विधवाओं हेतु अनुमन्य दर सामान्य रूप से लागू होगी।
4-	इस नियमावली के अधीन वित्तीय सहायता उत्तर प्रदेश केवल ऐसे अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को दी जायेगी।	इस नियमावली के अधीन वित्तीय सहायता उत्तर प्रदेश के ऐसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों एवं विधवा पेन्शन पा रही सभी वर्गों की निराश्रित विधवाओं को दी जायेगी।

2- एतद्द्वारा संशोधित नियम तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे। इस विषय में जारी शासनादेश संख्या-2586/26-3-97, दिनांक 06-06-97 तात्कालिक रूप से निरस्त किया जाता है।

भवदीय,
ह0/-
(शारदा प्रसाद)
सचिव।

संख्या-4321(1)/26-3-97, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, भारत सरकार।
4- समस्त मण्डलीय उप निदेशक/संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5- सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, (लखनऊ)
वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-12/नियोजन अनुभाग-3
समाज कल्याण प्रमुख सचिव कार्यालय के समस्त अनुभाग।
समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10- प्रमुख सचिव, महिला कल्याण एवं बाल विकास, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
11- विशेष कार्याधिकारी, गृह(पुलिस), उत्तर प्रदेश शासन।
12- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,
ह0/-
(शारदा प्रसाद)
सचिव।

निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक- C-1379/1-76/35 विधवा/शा0वि0/97-98, लखनऊ: दिनांक 03-10-97 1997

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(योगेश राय)
सहायक निदेशक
कृ0 निदेशक।

Scanned with CamScanner

प्रपत्र-1

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जातियों/जनजातियों के निर्धन एवं असहाय व्यक्तियों और विधवा पेन्शन पा रही सभी वर्गों की निराश्रित विधवाओं के इलाज तथा पुत्रियों की शादी (वित्तीय सहायता) नियमावली, 1982 के अधीन इलाज के लिए वित्तीय सहायता के आवेदन-पत्र।

1- आवेदक का नाम और पता- - - - - - - - - - - - - - - -

2- स्थानीय निवास स्थान- - - - - - - - - - - - - - - - -

3- जाति- -

4- आयु- -

5- वार्षिक आय (सभी स्रोतों से)- - - - - - - - - - - - -

6- रोग से ग्रस्त होने तथा अतिरिक्त धनराशि जिसकी इलाज हेतु आवश्यकता है। - - - - - - - - - - -

7- परिवार के आश्रित सदस्यों की संख्या- - - - - - - -
आयु उप जीविका और आय के स्रोत यदि कोई हो तो - - - - -

दिनांक- - - - - - - - - - -

आवेदक के हस्ताक्षर/
निशानी अँगूठा

स्थान- - - - - - - - - - -

नोट:- क्रम संख्या-3, 5 व 6 के समर्थन में प्रमाण-पत्र संलग्न किए जायें।

Scanned with CamScanner

सं0-515/60-3-2000-3(13)/98

प्रेषक,

श्री जगन्नाथ पाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण, उ0प्र0,
लखनऊ ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 25 मई, 2000

विषय:- दहेज से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु अनुमन्य धनराशि में वृद्धि ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-1827/म0क0नि0/म0बा0क0/अनुदान/आर्थिक सहायता/99-2000 दिनांक 8 फरवरी, 2000 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल तात्कालिक प्रभाव से "उ0प्र0 दहेज के कारण पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता नियमावली, 1998 के नियम 9 में उल्लिखित रू0 100 प्रतिमाह की सहायता राशि को रू0 125/- प्रतिमाह परिवर्तित किये जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं ।

2- उक्त नियमावली का नियम 9 तदनुसार तात्कालिक प्रभाव से संशोधित समझा जायेगा ।

3- ये आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-3-738/दस-2000, दिनांक 16-5-2000 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(जगन्नाथ पाल)
संयुक्त सचिव

सं0-515(1)/60-3-2000-3(13)/98 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 ।
2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।
3- समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी, उ0प्र0 ।
4- समाज कल्याण आयुक्त, उ0प्र0 ।

आज्ञा से,

(जगन्नाथ पाल)
संयुक्त सचिव

Scanned with CamScanner

संख्या–488/60–3–98–3(13)/98 दिनाँक 7 जुलाई, 1998 द्वारा संशोधित
दहेज से पीड़ित महिलाओं की आर्थिक सहायता
नियमावली, 1998

भाग एक सामान्य

संक्षिप्त नाम:– 1– (1) यह नियमावली दहेज के कारण पीड़ित महिलाओं की आर्थिक सहायता नियमावली 1998 कहलायेगी।

(2) यह नियमावली तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिभाषायें:– 2– जबतक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, नियमावली में :–

(क) प्रदेश का तात्पर्य उत्तर प्रदेश से है।

(ख) शासन का तात्पर्य उत्तर प्रदेश शासन से है।

(ग) जिलाधिकारी का तात्पर्य जिले के जिलाधिकारी से है।

(घ) दहेज प्रतिषेध अधिकारी का तात्पर्य इस हेतु जिले में तैनात जिला प्रोबेशन अधिकारी से है।

(ङ) न्यायालय का तात्पर्य उस न्यायालय से है जहाँ इस प्रकरण के वाद दायर ~~किये जाते~~ हैं।

(च) दहेज का तात्पर्य :–

(क) पत्नी पति को या

(ख) पत्नी के माता पिता द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पति को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को उक्त विवाह के संबंध में विवाह के अवसर पर या उसके पहले या विवाह के बाद किसी समय प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई सम्पत्ति, धनराशि या मूल्यवान प्रतिभूति का देना या देने के लिए सहमत होने से है।

(छ) पीड़ित महिला का तात्पर्य पति द्वारा अथवा पति के माता पिता द्वारा दहेज के कारण उस महिला को त्याग देने अथवा पत्नी धर्म से वंचित रखते हुए भरण–पोषण न दिये जाने अथवा प्रताड़ित करने से हैं।

(ख).

—क्रमशः—

Scanned with CamScanner

भाग दो— अर्हतायें

3-

(क) दहेज के कारण पीड़ित महिला का तात्पर्य उस महिला से होगा जो कि शासकीय संस्था में संवासिनी न हो ।

(ख) शासन के अन्य विभाग द्वारा किसी प्रकार की सहायता प्राप्त न कर रही हो ।

(ग) पीड़ित महिला द्वारा पुलिस में प्रथम सूचना दर्ज करा दी गयी हो अथवा न्यायालय में प्रतिवाद(मुकदमा) विचाराधीन हो ।

(घ) पीड़ित महिला गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो अर्थात समस्त स्रोतों से:-

(i) शहरी क्षेत्र में निवासरत पीड़ित महिला की आय रु0 11800/- प्रति वर्ष से अधिक न हो ।

(ii) ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत पीड़ित महिला की आय रु0 11000/- प्रतिवर्ष से अधिक न हो ।

परन्तु भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा की समय-समय पर पुनरीक्षित आय मानक मान्य होगा ।

4- आरक्षण :-

अनुसूचित जाति/जनजाति/ पिछड़ी जाति अथवा अन्य श्रेणी की पीड़ित महिलाओं की सहायता दिये जाने के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार आरक्षण किया जायेगा । आरक्षित वर्ग की पीड़ित महिलाओं के आवेदन-पत्र न प्राप्त होने पर आवेदन-पत्रों का निस्तारण बजट सीमा तक सामान्य श्रेणी से किया जायेगा ।

5- राष्ट्रीयता :-

इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन यह आवश्यक है कि दहेज के कारण पीड़ित महिला

(क) भारत की नागरिक हो ।

(ख) उत्तर प्रदेश के किसी जिले में निवासरत हो ।

6- अधिमानी अर्हता:-

(क) जो शारीरिक रूप से विकलांग हो अथवा अक्षम हो ।

(ख) जो गम्भीर रोग से पीड़ित हो ।

----3/...

Scanned with CamScanner

भाग तीन - सहायता

आवेदन-पत्र तथा उसके देने की तिथि:-

(क) निर्धारित रूप पत्र (परिशिष्टक) पर जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी के कार्यालय में जमा किया जायेगा।

(ख) आवेदन पत्र जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी के कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जायेगा।

8- **चयन प्रक्रिया:-** सहायता हेतु प्राप्त आवेदन-पत्र के परीक्षण एवं समुचित जाँच के उपरान्त जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी की संस्तुति पर सहायता की स्वीकृति जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी।

9- **सहायता राशि:-** दहेज के कारण पीड़ित महिला को प्रतिमाह ~~100~~ 125 रु0 की आर्थिक सहायता अनुदान के रूप में देय होगी।

10- **भुगतान की प्रक्रिया:-** सहायता का भुगतान जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी द्वारा बैंक अथवा डाकघर में बचत खाते के माध्यम से एकाउन्ट पेयी चेक/ड्राफ्ट से किया जायेगा।

11- **परिचय पत्र:-** लाभार्थिनी का फोटो जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा, जो परिचय पत्र के रूप में प्रयोग किया जायेगा।

12- **सहायता का बन्द किया जाना** पीड़ित महिला को दी जाने वाली आर्थिक सहायता निम्न दशाओं में से किसी भी एक दशा के होने पर बन्द कर दी जायेगी।

(क) न्यायालय द्वारा पीड़ित महिला को पति के साथ भेजे जाने का आदेश होने पर।

(ख) मृत्यु हो जाने की दशा में।

(ग) चाल चलन न सही पाये जाने की दशा में।

(घ) ऐसे जुर्म में जिसमें कि अनैतिक जीवन बिताने या वेश्यावृत्ति करने का अभियोग हो, में सजा पानेपर।

(ङ) पीड़ित महिला की आयु 60 वर्ष हो जाने पर उसे वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत होने पर।

(च) पुनर्विवाह होने पर।

अनुदान की निरन्तरता

13- यह अनुदान स्वीकृत होने पर नियम 8 के अन्तर्गत अगले वर्ष सहायता प्राप्त करने हेतु पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

—4/...

Scanned with CamScanner

1- उपभोग प्रमाण-पत्र :-

इस नियमावली के अन्तर्गत दी गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र संबंधित जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी द्वारा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश [illegible] निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को [illegible] जायेगी। निदेशक द्वारा संहत उपभोग प्रमाण पत्र शासन के महिला एवं बाल विकास को उपलब्ध कराया जायेगा।

15- व्यावृत्ति :-

इस नियमावली में कोई संशोधन उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

—— xxx ——

Scanned with CamScanner

महिला कल्याण विभाग, उ०प्र०

कार्यालय जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी जनपद ....

(तथा से. पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता (हेतु प्रार्थ)ना पत्र (यह प्रार्थना पत्र जिला दहेज प्रतिषेध (अ)धिकारी) को एक प्रति में प्रस्तुत करना होगा ।

अभ्यर्थिनी का प्रमाणित फोटो

1- श्रीमती .... आयु ....
2- जिला .... तहसील ....
3- नगर/ग्राम का पूरा पता ....
....

4- पति का नाम व ....
पता.............................व्यवसाय एवं मासिक आय.............

5- जाति.......................... (अनु०जाति/जनजाति) प्रमाण पत्र सहित

6- यदि प्रार्थिनी कहीं कार्य करती है अथवा उसके पास चल या अचल सम्पत्ति सभी क्षेत्रों से प्राप्त आय/विवरण ....

7- प्रार्थनी को यदि किसी अन्य क्षेत्र से कोई सहायता/अनुदान भरण पोषण हेतु मिली/अथवा मिल रही हो तो उसका पूर्ण विवरण दिया जाये ....

8- यदि कोई शारीरिक त्रुटि हो तो उसका उल्लेख किया जाय ....

9- प्रार्थिनी की उत्तर प्रदेश में निवास की अवधि............दि०..........
माह............. वर्ष.................

10- प्रार्थिनी का खाता विवरण (क) डाकघर/बैंक का नामपता.......................
(ख) खाता संख्या ....

प्रार्थिनी द्वारा शपथ

मैं प्रमाणित करती हूं कि.................... मैं उत्तर प्रदेश की निवासी हूं । मेरा गुजर बसर का कोई जरिया नहीं है । मेरी सभी क्षेत्रों से होने वाली कुल आय केवल रु० .... प्रतिमास है ।

मेरी जानकारी में उपरोक्त विवरण सही है । यदि कोई विवरण गलत हुआ तो जो धनराशि मुझसे सहायता के रूप में दी जायेगी उसे राजकीय कोष में प्रत्यावर्तित (रिफन्ड) कर दूंगी तथा यदि मैं ऐसा न करूँ तो राजस्व देयों की भांति यह समस्त धनराशि मुझसे वसूल की जा सकेगी और मैं इसके लिए बाध्य रहूंगी ।

पुर्नविवाह की दशा में मैं अपने पुर्नविवाह की सूचना संबंधित जिला दहेज प्रतिषेध अधिकारी को स्वयं दूंगी ।

दिनांक ....

प्रार्थिनी के हस्ताक्षर,
निशानी अंगू..

—2/,,,,

सं0-1619/60-3-2000-3(58)/97

प्रेषक

जगन्नाथ पाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें

निदेशक,
महिला कल्याण,उ0प्र0
लखनऊ ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3 लखनऊ दिनाँक 23जुलाई,2001

विषय:- दहेज से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता की धनराशि का बढ़ाया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक,निदेशक, महिला कल्याण,उ0प्र0 के पत्र संख्या-225/म0क0/म0बा0क0/अनुदान(618)/2000-2001,दिनाँक 2 जून,2000 के सन्दर्भ में तथा समाज कल्याण अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 2218/26-2-91/500(25)/90दिनाँक 26 फरवरी.1993 एवं शासनादेश संख्या- 745/60-3-97-3(58)/97दिनाँक 7-7-98 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय तत्कालिक प्रभाव से दहेज से उत्पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता नियमावली ,1898 के भाग-तीन"सहायता के नियम-9" को निम्नवत संशोधित किये जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं:-

	वर्तमान नियम		संशोधित नियम
1.	दहेज के कारण परित्यक्ताप्रत्येक वाद की कानूनी सहायता हेतु अधिकतम रू0-1000=00(एकहजार मात्र)की आर्थिक सहायताअनुमन्य होगी।	1.	दहेज के कारण परित्यक्ता प्रत्येक महिला को प्रत्येक वाद की कानूनी सहायता हेतु अधिकतम रू0 2500=00 (रूपया दो हजार पाँच सौमात्र) की आर्थिक सहायताअनुमन्य होगी।

2. कृपया उक्त नियमावली को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।
3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-3-758/दस-2001 दिनाँक 11 जुलाई2001 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

ह0-----
जगन्नाथ पाल
संयुक्त सचिव।

पृष्ठ——2/

Scanned with CamScanner

संख्या-1619§1§/60-3-2000-3§59§/97तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, आडिट प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
4. समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
5. वित्त §व्यय नियंत्रण§अनुभाग-3 ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उ0प्र0 सिविल लाईन, इलाहाबाद ।

आज्ञा से,

ह0-----

जगन्नाथ पाल

संयुक्त सचिव।

निदेशालय, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक 2407 /म0क0/म0बा0क0/अनुदान/§618§/2001-2002

दिनांक 28/9 अगस्त, 2001

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने जनपद में उपर्युक्तानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

§ उमेश चन्द्र किरन §

निदेशक।

Scanned with CamScanner